

7

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : डॉ० एम०के० अग्रवाल  
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-650-एक/2016 विरुद्ध आदेश दिनांक 07.07.2012  
पारित द्वारा तहसीलदार ईशागढ जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 434/बी/121  
2011-2012

.....

- 1- बाबू खॉ पुत्र स्व. मोदी खॉ आयु 70 वर्ष,  
ग्राम कालाबाग भौरा तत्का. तहसील ईशागढ,  
हाल तहसील नईसराय जिला अशोकनगर

-----आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- श्रीमती राजकमर आई पत्नी स्व बाबू सिंह रघुवंशी  
2- रमेश सिंह पुत्र स्व० बाबू सिंह,  
3- खुमान सिंह पुत्र स्व० बाबू सिंह  
ग्राम कालाबाग भौरा तत्का. तहसील ईशागढ,  
हाल तहसील नईसराय जिला अशोकनगर ।  
4- म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर अशोकनगर

-----अनावेदकनगर

श्री जी०पी० नायक, अभिभाषक, आवेदक  
श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क. 1  
श्री चतुर्वेदी, शासकीय पैनल अभिभाषक, अनावेदक क. 2

.....

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 15.03.18 को पारित )

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार ईशागढ के द्वारा पारित आदेश  
दिनांक 07.07.2012 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल  
संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका को ग्राम मुढेरी की भूमि सर्वे क्रमांक 114/4 रकवा 5.067 है0 में से रकवा 1.000 है. का पट्टा अनावेदक क्रमांक-1 से 3 के स्व0 पति एवं पिता को तहसील ईशागढ के प्रकरण क्रमांक 17/अ-19/1986-87 में पारित आदेश दिनांक 26.06.87 से किया गया था जिसका पटवारी अभिलेख में अमल पट्टा आदेश जारी होने के समय से प्रश्नाधीन आदेश जारी होने के दिनांक 07.07.2012 तक पटवारी अभिलेख में नहीं किया गया था जिसे लगभग 24 वर्ष जैसी लम्बी अवधि व्यतीत हो गयी थी। अनावेदिका क्रमांक 1-3 द्वारा तहसीलदार ईशागढ के समक्ष दिनांक 30.05.2012 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम मुढेरी के भूमि सर्वे क्रमांक 114/4 रकवा 1.00 है0 के पट्टा आदेश दिनांक 26.6.87 का पटवारी अभिलेख में अमल कराए जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार ईशागढ द्वारा इस आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण क्रमांक 434/बी-121/11-12 पंजीबद्ध कर प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 07.07.2012 से अनावेदिका क्रमांक 1 से 3 के पक्ष में प्रकरण क्रमांक 17/अ-19/86-87 में पारित आदेश दिनांक 26.06.87 से जारी पट्टा आदेश का अमल कराए जाने के आदेश दिनांक 07.07.2012 को दिए गये, जिससे व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से वही तर्क पस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित किए गये है। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 116 के तहत मात्र एक वर्ष के अंदर ही किसी कार्यवाही के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है तथा एक वर्ष की भूल को ही तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 116 के तहत सुधारा जा सकता है 24 वर्ष जैसी लम्बी अवधि की त्रुटि को नहीं सुधारा जा सकता । वहीं यह भी कहा गया कि 24 वर्ष तक पट्टा आदेश का पटवारी अभिलेख में अमल न कराना एवं पट्टे पर प्राप्त भूमि पर खेती न करना पट्टे की शर्तों का भी उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि अनावेदिका क्रमांक 1 के पति एवं पुत्रों के नाम एवं इनके परिवार के सदस्यों के नाम लगभग 110 बीघा भूमि है इस कारण भूमिहीन न होकर भूमि पट्टे पर प्राप्त करने की पात्रता भी नहीं रखते हैं। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के सर्थन

में विवादित भूमि पर कब्जे के संबंध में जुमाने की रसीदे खसरा दस्तावेजों की छाया प्रतियां प्रस्तुत कर यह भी प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है कि विवादित भूमि पर आवेदक का कब्जा वर्ष 1947 से लगातार आज दिनांक तक चला आ रहा है। यह भी कहा गया कि अनावेदकगण क्रमांक 1-3 का विवादित भूमि पर कब्जा कभी नहीं रहा है और वर्तमान में भी नहीं है। इस प्रकार अनावेदकगण क्रमांक 1 से 3 के स्व0 पति एवं पिता को पट्टे की पात्रता भी नहीं थी और न ही 24 वर्ष जैसे लम्बे विलम्ब के बाद तहसीलदार को पटवारी अभिलेख में संहिता की धारा 116 के तहत अमल कराए जाने का ही अधिकार था इस प्रकार तहसीलदार का आदेश विधि विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य होने से निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4. अनावेदक क्रमांक 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि मुझे वर्ष 1986-87 में विधिवत पट्टा हुआ था जिसका अमल पटवारी अभिलेख में करने के सक्षम अधिकारी द्वारा सही आदेश दिए गये हैं ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 07.07.2012 स्थिर रखा जावे तथा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया। अनावेदक म0प्र0 शासन के अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो की प्रति न मिलने की बात कहते हुए अधिलेख के आधार पर शासकीय भूमि को सुरक्षित करने के संबंध में शासन हित में विधिसंमत निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचारोपरांत अधीनास्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया, अवलोकन करने पर पाया गया कि तहसील न्यायालय में अनावेदकगण द्वारा पट्टा आदेश दिनांक 26.6.87 के अमल हेतु जो आवेदन दिनांक 30.05.2012 को तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसमें वर्ष 1987 से अमल न कराये जाने या अमल न होने के कोई कारण अंकित नहीं किए गये हैं और न ही यह अंकित किया गया कि इतनी लम्बी अवधि के बिलम्ब के बाद किस नियम के तहत अमल की अधिकारिता है। इसके साथ ही तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में इस तथ्य पर भी प्रकाश नहीं डाला गया कि अनावेदकगण के स्व0 पति एवं पिता की मृत्यु के बाद जिनको कि पट्टा स्वीकृत हुआ था का अमल इतनी लम्बी अवधि तक नहीं होने की दशा में क्या पट्टा ग्रहीता अनावेदकगण के पति/पिता की मृत्यु के बाद मृतक पिता एवं पति को स्वीकृत पट्टे का अमल उनके वारिसान के नाम किया जा सकता है

जंबकि पटवारी अभिलेख में अभिलिखित भूमि स्वामी अनावेदक गण का पिता ही नहीं है तब उनके वारिसान यानी अनावेदकगण किस प्रकार हो सकते हैं और उनके स्व० पिता एवं पति को हुए पट्टे का अमल किस प्रकार एवं किस नियम के तहत किए जाने के आदेश दिए जा सकते हैं के संबंध में भी तहसीलदार द्वारा कोई विचार एवं विवेचना नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार के आक्षेपित आदेश दिनांक 07.07.2012 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा इस प्रश्न पर भी कोई प्रकाश अपने आदेश में नहीं डाला गया कि इतने लम्बी अवधि तक अमल क्यों नहीं कराया गया और तहसीलदार को इतनी लम्बी अवधि के आदेश का अमल कराये जाने की अधिकारिता किस नियम एवं संहिता में निहित है। तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में यह भी अंकित नहीं किया गया है कि उनके द्वारा वर्ष 1987 के पट्टा आदेश दिनांक 26.6.87 का पटवारी अभिलेख में अमल करने का आदेश दिनांक 07.07.2012 किस प्रावधान के तहत दिया गया है। तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में पट्टे की शर्तों का भी विप्लेशन नहीं किया गया है। इतनी लम्बी अवधि तक पट्टे का अमल न करना/कराना पट्टे की शर्तों का उल्लंघन भी है क्योंकि पट्टा दिनांक से प्रश्नाधीन आदेश दिनांक तक अमल न कराया जाना यह भी संदेह व्यक्त करता है कि पट्टाधीन भूमि पर अनावेदकगण का कब्जा नहीं है और न ही उसके द्वारा उस पर खेती की जा रही है। वहीं अभिलेख अवलोकन से अनावेदकगण के स्व० पति एवं पिता का कब्जा विवादित भूमि पर था इस संबंध में भी कोई अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गये। जिससे यह तो स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर अनावेदकगण का कब्जा भी नहीं रहा है। वहीं तहसीलदार द्वारा पटवारी रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की तहसीलदार न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाने के संबंध में कोई विप्लेशन अपने आदेश में नहीं किया गया है। इसके साथ ही आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन करने से यह तथ्य प्रमाणित हो रहे हैं कि विवादित भूमि पर आवेदक बाबू खों का कब्जा संबत 2033 से 2052 तक अंकित रहा है। इस संबंध में भी तहसीलदार द्वारा अपने प्रश्नाधीन आदेश में कोई विवेचना नहीं की गयी है। साथ ही तहसीलदार को इस तथ्य पर भी अमल कराये जाने से पूर्व गौर करना चाहिए था कि इतनी लम्बी अवधि तक अमल क्यों नहीं कराया गया साथ ही इस तथ्य पर भी गौर करना चाहिए था कि क्या पट्टा

ग्रहीता को पट्टा दिनांक को पट्टे पर भूमि प्राप्त करने की पात्रता थी साथ ही इस तथ्य पर भी गौर करते हुए विप्लेशन करना चाहिए था कि क्या पट्टा ग्रहीता जिसके नाम का अमल पट्टवारी अभिलेख में नहीं हुआ हो तथा इससे पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसानों के नाम पट्टे का अमल किया जा सकता है नियमों का उल्लेख कर सम्पूर्ण तथ्यों को स्पष्ट करते हुए आदेश पारित करना चाहिए था जो नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में तहसीलदार का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 07.07.2012 स्थिर रखे जाने योग्य न होने निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आप प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्रदान करते हुए संहिता में एवं रा0पु0परिपत्र में निहित प्रावधानों के अनुसरण में विस्तृत एवं बोलता हुआ आदेश पारित करें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रकरण दारि. हो।



(डॉ० एम०के० अग्रवाल)

सदस्य,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,

ग्वालियर,

